न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 40/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/110)

1. रामकरण पुत्र रामप्रसाद उम्र 48 वर्ष जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी दौसा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजू उर्फ राजूलाल पुत्र स्व0 रामूलाल उम्र 33 वर्ष जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी टेकचन्दपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0।
2. कमलेश उर्फ कृष्ण पुत्र स्व0 रामूलाल उम्र 30 वर्ष जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम टेकचन्दपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा दिनांक 07.04.2021 प्रकरण संख्या 14/2019 उनवानी रामकरण बनाम राजूलाल पर पारित किया गया है।

उपस्थित :—

1. श्री अशोक बटवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री बनवारी लाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—30.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार दौसा के निर्णय दिनांक 07.04.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 22.06.2021 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हाल अपीलान्ट रामकरण पुत्र रामप्रसाद ने प्रार्थना पत्र शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम दौसा खुर्द की आराजी खसरा नम्बर 397, 399, 400, 533, 534, 631, 792, 793, 1210, 1211, 1236, 1237, 1240 कुल किता 13 रकबा 4.30 है० भूमि में भगवती का 1/10 हिस्सा है व खसरा नम्बर 392, 494 रकबा 0.24 है0 भूमि में भगवती का 1/5 हिस्सा है उक्त भगवती देवी ने शपथकर्ता (रामकरण) के हक में दिनांक 03.10.2007 ई. को उक्त भूमि की वसीयत कर दी है तथा उक्त भूमि पर शपथकर्ता ही काबिज है व एकमात्र स्वामी है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वसीयत दिनांक 03.10.2007 की फोटो प्रति एवं रामप्रसाद का शपथ पत्र पेश किया गया। प्रकरण अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दर्ज किया गया। जिस पर तहसीलदार दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.04.2021 द्वारा निर्णय पारित किया गया कि मृतका भागोती उर्फ भगवती देवी पुत्री मूलचन्द की खातेदारी भूमि स्थित दौसा खुर्द जो कि आराजी खसरा नम्बर 397, 399, 400, 533, 534, 631, 792, 793, 1210, 1211, 1236, 1237, 1240 कुल किता 13 रकबा 4.30 है० भूमि में भगवती का 1/10 हिस्सा है व खसरा नम्बर 392, 494 रकबा 0.24 है0 भूमि में भगवती का 1/5 हिस्सा है का नामान्तकरण राजू व कमलेश उर्फ कृष्ण पिसरान रामूलाल कौम हरियाणा ब्राहमण निवासी टेकचन्दपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के हक में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये।
3. तहसीलदार दौसा के उक्त निर्णय 07.04.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामकरण पुत्र रामप्रसाद द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार दौसा का निर्णय दिनांक 07.04.2021 निरस्त कर विवादित भूमि स्व0 भगवती देवी ग्राम दौसा खुर्द स्थित आराजी की विरासत का नामान्तकरण अपीलार्थी के पक्ष में नियमानुसार तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि में स्व0 भगवती देवी के स्थान पर अपीलार्थी के नाम का खातेदारी अंकन किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा

का अपीलाधीन आदेश विधि विधान एंव विधि के सामान्य सिद्धान्त के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुने जाने बाबत कोई अवसर प्रदान न करते हुए नैसर्गिक न्याय के सामान्य सिद्धान्त के विपरित अपीलाधीन आदेश पारित करने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी त्रुटि की है। स्व० भगवती देवी द्वारा अपनी दौसा खुर्द स्थित आराजी बाबत विधिक वसीयत अपीलार्थी के नाम दिनांक 03.10.2007 को की गयी तथा स्व० भगवती देवी द्वारा अपने ससुराल पक्ष ग्राम टेकचन्दपुरा तह० बस्सी जिला जयपुर की सम्पत्ति बाबत दूसरी वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 16.05.2016 को करते हुए प्रथम वसीयत से दौसा खुर्द स्थित सम्पत्ति का अपीलार्थी को अपने निधन के उपरान्त खुद समान स्वामी व मालिक बनाया गया तथा द्वितीय वसीयत दिनांक 16.05.2016 से अपनी ग्राम टेकचन्दपुरा तह० बस्सी जिला जयपुर स्थित सम्पत्ति का मालिक व स्वामी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को बनाया गया तथा द्वितीय वसीयत जो कि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में की गयी थी में किसी भी प्रकार से दौसा खुर्द स्थित अपनी सम्पत्ति का स्वामी व मालिक रेस्पोडेन्ट्स को नही बनाया गया तथा ना ही उनके पक्ष में की गयी द्वितीय रजिस्टर्ड वसीयत पत्र में अपीलार्थी के पक्ष में की गयी वसीयत को किसी भी प्रकार से निरस्त नही किया गया। उक्त वस्तुस्थिति दोनों वसीयत पत्र जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत है। उक्त दोनों वसीयत पत्रों को पढे जाने मात्र से स्वतः प्रमाणित है। जिसके फलस्वरूप स्व0 भगवती देवी की दौसा खुर्द स्थित प्रश्नगत सम्पत्ति का स्वामी मालिक अपीलार्थी तथा ग्राम टेकचन्दपुरा तह० बस्सी जिला जयपुर की सम्पत्ति का स्वामी व मालिक रेस्पोडेन्ट है, बखुबी प्रमाणित होने के उपरान्त भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुपचुप में बसाज रेस्पोडेन्ट इकतरफा अपीलाधीन आदेश मनमाने तरीके से पारित कर दिया गया जो कि पूर्ण रूपेण असवैधानिक होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रश्नगत दौसा खुर्द स्थित आराजी पर अपीलार्थी स्व0 भगवत्ती देवी के जीवनकाल से गत करीब 20 वर्ष से भी अधिक अवधि से निरन्तर काश्तकर लाभान्वित होता चला आ रहा है तथा उक्त आराजी पर आज दिन तक रेस्पोडेन्ट्स का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा। उक्त तथ्य की भी जांच किये बगैर मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित करने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भंयकर कानूनी भूल की है।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय बसाज रेस्पोडेन्ट्स उक्त अपीलाधीन आदेश की आड में बडी उजलत के साथ रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक कर उनके नाम का राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी अंकन करने पर आमादा है। जिससे अपीलार्थी को गंम्भीर अपूर्णीय क्षति की प्रबल सम्भावना है। यदि वे अपने अनुचित मकसद में सफल हो जाते है तो अपील का मकसद ही फौत हो जावेगा। ऐसी दशा में अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति अविलम्ब अपील के अन्तिम निस्तारण तक स्थगित किया जाना भी न्यायोचित है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर व उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण भी खण्डनीय है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर आने व सरकार द्वारा लॉक डाउन लगाये जाने के फलस्वरूप इस कोरोना काल में उक्त अपील उक्त अमर मजबूरीवश अन्दर मियाद पेश नही की जा सकी किन्तु अब कोरोना बीमारी कम होने व सरकार द्वारा लॉक डाउन में छूट दिये जाने के कारण उक्त अपील अविलम्ब पेश की जा रही है। ऐसी दशा में उक्त अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जाना न्यायोचित है फिर भी यदि किसी कारणवश उक्त अपील अन्दर मियाद न माने जाने की दशा में दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र उक्त विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर नम्र निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2021 प्रकरण संख्या 14/19 उनवानी रामकरण बनाम राजूलाल में पारित किया गया है, को निरस्त फरमाया जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित फरमाया जावें कि अपील के चरण संख्या 1 में वर्णित स्व० भगवती देवी की दौसा खुर्द स्थित आराजी की विरासत का नामान्तकरण अपीलार्थी के पक्ष में नियमानुसार तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमावन्दी आदि में स्व० भगवती देवी के स्थान पर अपीलार्थी के नाम का खातेदारी अंकन किया जावें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 की ओर अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हाल अपीलान्ट रामकरण

ने प्रार्थना पत्र शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम दौसा खुर्द की आराजी खसरा नम्बर 397, 399, 400, 533, 534, 631, 792, 793, 1210, 1211, 1236, 1237, 1240 कुल किता 13 रकबा 4.30 है० भूमि में भगवती का 1/10 हिस्सा है व खसरा नम्बर 392, 494 रकबा 0.24 है0 भूमि में भगवती का 1/5 हिस्सा है, उक्त भगवती देवी ने शपथकर्ता (रामकरण) के हक में दिनांक 03.10.2007 ई. को उक्त भूमि की वसीयत कर दी है तथा उक्त भूमि पर शपथकर्ता ही काबिज है व एकमात्र स्वामी है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वसीयत दिनांक 03.10.2007 की फोटो प्रति एवं रामप्रसाद का शपथ पत्र पेश किया गया। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में स्वंय उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 16.05.2016 ई. की रजिस्टर्ड वसीयत प्रस्तुत की एवं निवेदन किया कि मृतका भगवती देवी ने अपनी सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति की वसीयत राजू व कमलेश उर्फ कृष्ण पिसरान रामूलाल के हक में दिनांक 16.05.2016 ई. को रजिस्टर्ड वसीयत की है जिससे मृतका भगवती देवी की सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति के स्वामी भगवती देवी की मृत्यु के पश्चात दरख्वास्त देहिन्दा राजू व कमलेश उर्फ कृष्ण हो गये है। विवादित आराजीयात का भगवती देवी के हिस्से का नामान्तरण राजू व कमलेश उर्फ कृष्ण के हक में खोला जावे। जिस पर तहसीलदार दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.04.2021 द्वारा आदेश दिया गया कि मृतका भागोती उर्फ भगवती देवी पुत्री मूलचन्द की खातेदारी भूमि स्थित दौसा खुर्द जो कि आराजी खसरा नम्बर 397, 399, 400, 533, 534, 631, 792, 793, 1210, 1211, 1236, 1237, 1240 कुल किता 13 रकबा 4.30 है० भूमि में भगवती का 1/10 हिस्सा है व खसरा नम्बर 392, 494 रकबा 0.24 है0 भूमि में भगवती का 1/5 हिस्सा है का नामान्तरण राजू व कमलेश उर्फ कृष्ण पिसरान रामूलाल कौम हरियाणा ब्राहमण निवासी टेकचन्दपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के हक में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2021 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी कोरोना महामारी की दूसरी लहर आने व सरकार द्वारा लॉक डाउन लगाये जाने से नहीं हो सकी एवं अपीलाधीन आदेश की जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है। जिसका अंकन अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मुख्यतः विवाद ग्राम दौसा खुर्द की आराजी खसरा नम्बर 397, 399, 400, 533, 534, 631, 792, 793, 1210, 1211, 1236, 1237, 1240 कुल किता 13 रकबा 4.30 है० भूमि में भगवती का 1/10 हिस्सा है व खसरा नम्बर 392, 494 रकबा 0.24 है0 भूमि में 1/5 हिस्सा दर्ज थी के सम्बन्ध में है जिसमें तहसीलदार दौसा के समक्ष दो वसीयत क्रमशः दिनांक 03.10.2007 ई. की अनरजिस्टर्ड वसीयत जो कि 100/रूपये के स्टाम्प पेपर व तीन किता पाईप पेपरों पर भगवती देवी द्वारा रामकरण पुत्र रामप्रसाद के पक्ष में लिखी हुई है तथा दूसरी रजिस्टर्ड वसीयत राजू व कमलेश उर्फ कृष्ण पिसरान रामूलाल के हक में भगवती देवी द्वारा अपनी सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में दिनांक 16.05.2016 को लिखी जाकर दिनांक 17.05.2016 ई. को उप पंजीयक बस्सी जिला जयपुर द्वारा पंजीबद्ध की गई वसीयत को लेकर है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न वसीयतों का अवलोकन किया गया। एक वसीयत भागोती उर्फ भगवती ने दिनांक 03.10.2007 को अनरजिस्टर्ड वसीयत जो कि 100/रूपये के स्टाम्प पेपर व तीन किता पाई पेपरों द्वारा रामकरण पुत्र रामप्रसाद के पक्ष में लिखी गयी है उक्त वसीयत में वसीयतकर्ती ने स्वंय की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 397 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 399 रकबा 0.16 है0, 400 रकबा 0.12 है0, 533 रकबा 0.05 है0, 534 रकबा 0.06 है0, 631 रकबा 0.33 है0, 792 रकबा 0.63 है0, 793 रकबा 0.54 है0, 1210 रकबा 0.45 है0, 1211 रकबा 0.40 है0, 1236 रकबा 0.40

है0, 1237 रकबा 0.47 है0, 1240 रकबा 0.49 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 4.30 है0 ग्राम दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा में स्थित है जिसमें वसीयतकर्ती का हिस्सा 1/10 दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी खसरा नम्बर 392 रकबा 0.04 है0, 394 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा में स्थित है जिसमें वसीयतकर्ती का हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड है।

दूसरी वसीयत भागोती उर्फ भगवती ने दिनांक 16.05.2016 को रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा राजू, कमलेश उर्फ कृष्ण पुत्र स्वर्गीय रामूलाल, जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम टेकचन्दपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के पक्ष में लिखी गयी है उक्त वसीयत में वसीयतकर्ती ने ग्राम टेकचन्दपुरा, पटवार क्षेत्र राजपुरा पातालवास तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित भूमि जिसके खेवट खतौनी संख्या नये 32 व पुराने 31 जिसके आराजी खसरा नम्बर 63 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा के हिस्सा 1/4 सम्पूर्ण व खेवट खतौनी संख्या नये 47 व पुराने 48 जिसके आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 62 रकबा 2 बिस्वा, कुल किता 2, कुल रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा के हिस्सा 1/2 सम्पूर्ण भूमि व मकानात व अन्य चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत की गयी।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा जिला दौसा ने दोनों वसीयतों 03.10.2007 एवं 16.05.2016 में अंकित भूमियों का अवलोकन किये बिना ही पंजीबद्ध वसीयत में भागोती उर्फ भगवती देवी पुत्री मूलचन्द पत्नि कल्याण सहाय शर्मा द्वारा अपनी सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति का उत्तराधिकारी वारिस राजू व कमलेश उर्फ कृष्ण पिसरान रामूलाल कौम हरियाणा ब्राह्मण निवासी टेकचन्दपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर को आधार मानते हुये मृतका भागोती उर्फ भगवती देवी पुत्री मूलचन्द की खातेदारी भूमि स्थित दौसा खुर्द जो कि आराजी खसरा नम्बर 397, 399, 400, 533, 534, 631, 792, 795, 1210, 1211, 1236, 1237, 1240 कुल किता 13 रकबा 4.30 है० भूमि में भगवती का 1/10 हिस्सा है व खसरा नम्बर 392, 494 रकबा 0.24 है० भूमि में भगवती का 1/5 हिस्सा है का नामान्तरण राजू व कमलेश उर्फ कृष्ण पिसरान रामूलाल कौम हरियाणा ब्राह्मण निवासी टेकचन्दपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के हक में दर्ज किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही कर नामान्तकरण वास्ते तस्दीक पेश करने का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.04.2021 पारित करने में विधिक त्रुटि की गयी है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2021 निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में दोनों वसीयतों में अंकित भूमियों का अवलोकन/परीक्षण करते हुये कार्यवाही करने एवं न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि – अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2021 निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में दोनों वसीयतों में अंकित भूमियों का अवलोकन/परीक्षण करते हुये कार्यवाही करने एवं न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित कियां जावे।

(दीप्ति कछवाहा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर